



गोपनीय

भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी देयताएँ और आस्तियों पर वार्षिक विवरण के लिए प्रपत्र

31 मार्च **Y Y Y Y** तक

(दिनांक जून 18, 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 145 के तहत भरे जाने के लिए विवरणी जो सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करनी है।)

कृपया ववरणी भरने से पहले निर्देश/परिभाषाएँ ध्यान से पढ़ें।

पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फार्म भरने के लिए सुझाव: फार्म भरते समय मदों पर मार्गदर्शन करने के लिए [Tab] या [Enter] का प्रयोग करें।

सारी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार **Macro** सक्षम करें;

--एमएस ऑफिस Win 98/ 2000 / ME / XP या उसके पहले के संस्करणों की फ़ाइल खोलने के दौरान "Enable Macro" बटन पर क्लिक करें।

-- एमएस ऑफिस 2007 / 2010 या उसके बाद के संस्करणों के लिए नीचे स्नैप शॉट के रूप में दिखाए गए मेनू पट्टी के तुरंत नीचे "Options" बटन पर क्लिक करें।



- अगर आप Macro को चलाने में असमर्थ हैं, तो फ़ाइल को फिर से खोले और Macro सक्षम करें।

अगर आप प्रपत्र को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गये "View बटन" पर क्लिक करे अथवा "प्रपत्र भरना शुरू करे" बटन पर क्लिक करे

View बटन

अनुच्छेद I

अनुच्छेद II

अनुच्छेद III

अनुच्छेद IV

अनुच्छेद IV -अ

अनुच्छेद V

प्रपत्र भरना शुरू करें >>

नोट: आप View बटन से प्रपत्र को केवल देख सकते हैं। प्रपत्र भरने के लिए 'प्रपत्र भरना शुरू करें' >> बटन पर क्लिक करें।

[<< अनुदेश पढ़ें](#)

अनुच्छेद - I (पहचानविवरण)

[अनुच्छेद II में प्रविष्टि >>](#)

1. भारतीय कंपनी का नाम और पता :

कंपनी का नाम :

पता :

शहर :

राज्य :

-Select-

पिन :

2. आयकर विभाग द्वारा दिया गया कंपनी का पैन नंबर (10 अंक)

3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आबंटित सीआईएन नंबर (21 अंक)

4. संपर्क के लिए जानकारी :

संपर्क व्यक्ति का नाम :

पदनाम

दूरभाष क्रमांक :

फ़ैक्स

ई-मेल :

वेबसाइट (यदि हो)

5. वार्षिक लेखा/खाता बंद करने की तारीख :

DD

MMM

YYYY

6. व्यवसाय का स्वरूप (चयन क -Select-

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 सूचकांक के अनुसार

7. क्या आपकी कंपनी का नाम नवीनतम वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च) के दौरान बदला है? - हाँ/ नहीं

-Select-

8. क्या कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है या नहीं?

-Select-

9. रिपोर्टिंग कंपनी की पहचान (आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में)।

-Select-

10. क्या आपकी कंपनी परिसंपत्ति - प्रबंध कंपनी है?

-Select-

11. क्या आपकी कंपनी में विदेशी तकनीकी सहयोग है?

-Select-

12. क्या आपकी कंपनी ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान कोई भी व्यावसायिक गतिविधि थी?

-Select-

[पुष्टि करें](#)[अनुच्छेद II में प्रविष्टि >>](#)

खंड -I: रिपोर्ट करनेवाली कंपनी का वित्तीय विवरण

सावधानी : सभी संदर्भ अवधि अर्थात् पिछला मार्च और नवीनतम मार्च के लिए जानकारी दी जानी चाहिए। अगर रिपोर्ट अवधि, लेखा /खाता बंद करने की अवधि से अलग हैं तो आंतरिक मूल्यांकन पर जानकारी दी जानी चाहिए।

खंड -I (ए): भारतीय कंपनी की कुल चुकता पूंजी :

मद	पिछले मार्च -अंत की स्थिति		नवीनतम मार्च -अंत की स्थिति	
	शेयरों की वास्तविक संख्या	लाख रुपये में राशि	शेयरों की वास्तविक संख्या	लाख रुपये में राशि
1.0 कुल चुकता पूंजी (1.0 = 1.1 + 1.2)	0	0.00	0	0.00
1.1 कुल इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर पूंजी (1.1 = 1.1(a) + 1.1(b))	0	0.00	0	0.00
(क) साधारण / इक्विटिशेयर *				
(ख) सहभागी अधिमान शेयर				
1. गैर - सहभागी अधिमान शेयर #				

2.0 अनिवासियों कि जमा पूंजी (रुपये लाख में अंकित मूल्य पर)

2.1 इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर पूंजी	0	0.00	0	0.00
(मद 1 से मद 12 तक का जोड़)				
1 व्यक्ति				
2 कम्पनी				
3 विदेशी संस्थागत निवेशक				
4 विदेशी जोखिम पूंजी निवेश				
5 विदेशी न्यास				
6 निजी/इक्विटी निधि				
7 पेंशन/ भविष्य निधि				
8 राष्ट्रिक धन निधि				
9 भागीदारी/ स्वामित्व व्यवसाय				
10 वित्तीय संस्थाएं				
11 एनआरआई/ पीआईओ				
12 अन्य अनिवासियों कि जमा पूंजी				
2.2 गैर - सहभागी अधिमान शेयर				

3.0 अनिवासी इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर पूंजी %

टिप्पणी :

* इक्विटी शेयर के विभिन्न वर्ग (वर्ग अ, वर्ग ब आदि) के मामले में, समेकित आंकड़ा सूचित किया जाना चाहिए।

गैर-सहभागी अधिमान शेयरको निम्नलिखित अधिकार नहीं है।

(क) अधिशेष लाभ से इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान के बाद लाभांश प्राप्त होना।

(ख) कंपनी के बंद के मामले में, संपूर्ण पूंजी के भुगतान के बाद शेष-अधिशेष संपत्ति में से हिस्सा /पाना।

खंड-1(बी): लाभ और हानि खाता (लाभ-हानि खाता से)

मद	लाख रुपये में राशि (साल के दौरान)	
	पिछला वर्ष अप्रैल - मार्च	नवीनतम वर्ष अप्रैल - मार्च
3.1 कर से पहले लाभ (+) / हानि (-) (साल के दौरान)		
3.2 कर के बाद लाभ (+) / हानि (-) (साल के दौरान)		
3.3 लाभांश (अंतरिम और अंतिम लाभांश)		
3.4 लाभांश पर कर (यदि है)		
3.5 प्रतिधारित लाभ (= 3.2 - 3.3 - 3.4)	0.00	0.00

खंड-1 (सी): आरक्षित निधि और अधिशेष (तुलन पत्र से)

मद	लाख रुपये में राशि	
	पिछला वर्ष	नवीनतम वर्ष
4.1 आरक्षित निधि (लाभ और हानि लेखाशेष छोड़कर)		
4.2 लाभ (+) और हानि(-) लेखाशेष		
4.3 आरक्षित निधि और अधिशेष(= 4.1 + 4.2)	0.00	0.00
4.4 निवल संपत्ति(= 1.1 + 4.3)	0.00	0.00

<< अनुच्छेद I में प्र वष्टि

पुष्टि करें

अनुच्छेद II में प्र वष्टि >>

अनुच्छेद - III

विदेशी देयताएँ

सावधानी: सभी संदर्भ अवधि के लिए जानकारी दी जानी चाहिए (अर्थात पिछला मार्च और नवीनतम मार्च)। अगर रिपोर्ट अवधि लेखा / खाता बंद करने की अवधि से अलग हैं तो जानकारी आंतरिक मूल्यांकन पर दी जानी चाहिए।

2. भारत में किए गए निवेश:

- (i) सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, इक्विटी का शेयर-मूल्य, संदर्भ अवधि की अंतिम तिथि पर आधारित होना चाहिए।
(ii) गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, निजी निधि बही-मूल्य पद्धति इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

खंड-2(ए): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) योजना के तहत भारत में निवेश (10% या उससे अधिक इक्विटी भागीदारी)

[यहाँ अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत किए गए निवेश की स्थिति प्रस्तुत करें, जिनके पास रिपोर्टिंग तारीख पर व्यक्तिगत रूप से आपकी कंपनी के 10 प्रतिशत या उससे अधिक साधारण / इक्विटी और अधिमान शेयर थे।]

अनिवासी कंपनी / व्यक्ति के नाम	पूंजी के प्रकार	अनिवासी निवेशक का देश(कूट/कोड)	अनिवासी के इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर की जमा पूंजी का नवीनतम वर्ष के अंत तक प्रतिशत (%)	के अंत में लाख रुपये में राशि	
				पिछला मार्च	नवीनतम मार्च
	1.0 इक्विटीपूंजी (= 1.1-1.2)			0.00	0.00
	1.1 प्रत्यक्ष निवेशक को देयताएँ	-Select-			
	1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावा (प्रतिवर्तीनिवेश) 1				
	2.0 अन्य पूंजी(= 2.1-2.2) #			0.00	0.00
	2.1 प्रत्यक्ष निवेशक को देयताएँ/देनदारियाँ				
	2.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावा				

टिप्पणी: (i) अगर जानकारी एक से अधिक निवेशक के लिए प्रस्तुत की जा रही है, तो अतिरिक्त ब्लॉक 2अ डालने के लिए ADD बटन का उपयोग करें।

(ii) #: अन्य पूंजी, खंड-2 (ए) के मद 2.1 और 2.2 में सभी अन्य देयताएँ और दावे नामिक मूल्य में शामिल हैं, इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर को छोड़कर, (अर्थात व्यापार ऋण, उधार, ऋणपत्र, गैर-सहभागी शेयर पूंजी, अन्य प्राप्य राशियां और देय खाता आदि) भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के प्रत्यक्ष निवेशक के साथ खंड-2 (ए) में सूचित करें।

खंड-2(बी): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) योजना के तहत भारत में निवेश (10% या उससे कम इक्विटीजमा पूंजी)

[यहाँ अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत किए गए बकाया निवेश प्रस्तुत करें, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से रिपोर्टिंग तारीख पर आपकी कंपनी के 10 प्रतिशत से कम साधारण / इक्विटी और अधिमान शेयर थे।]

देश वार समेकित जानकारी नीचे प्रदान की जानी चाहिए

पूंजी के प्रकार	अनिवासी निवेशक का देश(कोड)	अनिवासी के इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर की जमा पूंजी का नवीनतम वर्ष के अंत तक प्रतिशत (%)	वर्ष के अंत में लाख रुपये में राशि	
			पिछला मार्च	नवीनतम मार्च
1.0 इक्विटी पूंजी (= 1.1-1.2)			0.00	0.00
1.1 प्रत्यक्ष निवेशक को देयताएँ	-Select-			
1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावा (प्रतिवर्ती निवेश)				

2.0 अन्य पूंजी(= 2.1-2.2) #		0.00	0.00
2.1 प्रत्यक्ष निवेशक को देयताएँ/देनदारियाँ	-Select-		
2.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावा	-Select-		

टिप्पणी: (i) अगर एक से अधिक देश के लिए जानकारी प्रस्तुत की जा रही है, तो अतिरिक्त ब्लॉक 2-ब डालने के लिए ADD बटन का उपयोग करें।

(ii) #: अन्य पूंजी, खंड-2 (बी) के मद 2.1 और 2.2 में सभी अन्य देयताएँ और दावे नामिक मूल्य में शामिल हैं, इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर को छोड़कर, (अर्थात् व्यापार ऋण, उधार, ऋणपत्र, गैर-सहभागी शेयर पूंजी, अन्य प्राप्य राशियाँ और देय खाता आदि) जो भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के अनिवासी निवेशक और संबंधित दलों के साथ भी जहां भारतीय कंपनी कि इक्विटी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम हैं।

खंड-2 (सी): विदेशी संविभाग निवेश

कृपया यहां अनिवासी निवेशक द्वारा किए गए बकाया निवेश, जो की भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत नहीं आता, प्रस्तुत करें।

संविभाग निवेश	अनिवासी के इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर कि जमा पूंजी का नवीनतम वर्ष के अंत तक 2017 प्रतिशत (%)	वर्ष के अंत में लाख रुपये में राशि	
		पिछला मार्च	नवीनतम मार्च
1.0 इक्विटी प्रतिभूतियाँ (बाजार मूल्य पर)			
2.0 ऋण प्रतिभूतियाँ (2.0=2.1+2.2)		0.00	0.00
2.1 मुद्रा बाजार साधन (1 वर्ष तक मूल परिपक्वता)			
2.2 बाँण्ड एवं अन्य साधन (1 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता)			

कृपया सुनिश्चित करें कि खंड 1 (ए) के मद 2.1 में उल्लेख किए हुए अनिवासी इक्विटी और संविभाग निवेश शेयर पूंजी खंड 2 (ए) या खंड 2 (बी) या खंड 2 (सी) बाजार मूल्य में सूचित की जाय यानि नवीनतम मार्च के लिए खंड 2(अ), खंड 2(ब) और खंड 2(क) में इक्विटी % का योग ब्लॉक-1 ए के मद 3.0 के बराबर होना चाहिए।

विदेशी आस्तियाँ

1. रिपोर्टिंग वर्ष के लिए विदेशी आस्तियाँ (लाख रुपये में) रिपोर्ट करते समय कृपया पिछले वित्तीय वर्ष और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च-अंत में विनिमय दर (जैसा लागू हो) का उपयोग करें।
2. अगर विदेशी कंपनी सूचीबद्ध हैं तो, इक्विटी का मूल्य शेयर की कीमत संदर्भ अवधि की अंतिम तिथि पर आधारित होना चाहिए (खंड-4(ए) के विषय / मद 1.1 और खंड -5 विषय / मद 1.0)।
3. अगर विदेशी कंपनी असूचीबद्ध हैं तो, निजी निधि बहीमूल्य पद्धति (OFBV) का इक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए (खंड-4(ए) के विषय / मद 1.1 और खंड -5 विषय / मद 1.0)।

खंड -3 (ए): विदेश में प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (DIE) कि इक्विटी जमा पूंजी (PUC), आरक्षित निधि और अधिशेष (भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की 10% या उससे अधिक इक्विटी)।

[कृपया यहां प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की, आपकी कंपनी द्वारा धारित इक्विटी, आरक्षित निधि (लाभ और हानि लेखा छोड़कर) और लाभ और हानि लेखा उन सभी प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों की कुल इक्विटी प्रस्तुत करे जिनके पास आपकी कंपनी ने संदर्भ तारीख पर 10% या उससे अधिक इक्विटी शेयर हैं।]

प्रत्यक्ष निवेश उद्यम का नाम	विषय / मद	मुद्रा	वर्ष के अंत में वास्तविक विदेशी मुद्रा में राशि	
			पिछला मार्च	नवीनतम मार्च
	3.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की कुल इक्विटी (प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की प्रदत्त पूंजी)	-Select-		
	3.2 आपकी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में संघटित इक्विटी (अंकित मूल्य पर)			
	3.3 आरक्षित निधि (लाभ और हानि लेखा छोड़कर)			
	3.4 लाभ और हानि लेखा शेष			
	3.5 आरक्षित निधि और अधिशेष(3.5=3.3+3.4)		0	0
	3.6 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की निवल संपत्ति (3.6=3.1+3.5)		0	0
	3.7 विदेशी मुद्रा* विनिमय दर (रुपये में प्रति यूनिट)			

*: भारतीय रुपए के निमित्त रिपोर्ट कि जानेवाली विदेशी मुद्रा की विनिमय दर संदर्भ अवधि की अंतिम तिथि के लिए दी जानी चाहिए।

खंड -4: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) योजनाके तहत विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

खंड -4(ए) :विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (10% या उससे अधिक जमा पूंजी)।

कृपया यहां प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत आपकी कंपनी द्वारा किए गए, निवेश की स्थिति का बाजार मूल्य प्रस्तुत करें, जिनमें से प्रत्येक में आपकी कंपनी ने संदर्भ तारीख पर 10% या उससे अधिक इक्विटी शेयर हैं।

अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम का नाम (DIE)	पूंजी के प्रकार	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम का देश	नवीनतम वर्ष के अंत में इक्विटी जमा पूंजी (%)	वर्ष के अंत में लाख रुपये में राशि	
				पिछला मार्च	नवीनतम मार्च
	1.0 इक्विटी जमा पूंजी (1.0=1.1-1.2)			0	0
	1.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पे दावे	-Select-			
	1.2 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम को देयताएँ/देनदारियाँ (रिवर्स निवेश)				
	2.0 अन्य पूंजी (2.0=2.1-2.2) #			0	0
	2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पर दावे				
	2.2 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम को देयताएँ/देनदारियाँ				

ADD

नोट: (i) अगर जानकारी एक से अधिक प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के लिए प्रस्तुत की जा रही है, तो अतिरिक्त खंड 3(ए) और 4(ए) डालने के लिए ADD बटन का उपयोग करें।

(ii) #: खंड-4(ए) के मद 2.1 और 2.2 में अन्य पूंजी में इक्विटी शेयर को छोड़कर सभी अन्य देयताएँ और दावे नामिक मूल्य में शामिल हैं (अर्थात व्यापार ऋण, ऋण, ऋणपत्र, गैर-सहभागी शेयर पूंजी, अन्य प्राप्य राशियाँ और देय खाता आदि) भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के साथ खंड-4(ए) में सूचित करें।

खंड -4(बी) :विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (10% या उससे कम जमा पूंजी)।

कृपया यहां प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत आपकी कंपनी द्वारा किए गए, निवेश की स्थिति का बाजार मूल्य प्रस्तुत करें, जिनमें से प्रत्येक में आपकी कंपनी ने संदर्भ तारीख पर 10% या उससे कम इक्विटी शेयर हैं।

पूंजी के प्रकार	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम का देश	नवीनतम वर्ष के अंत में इक्विटी जमा पूंजी (%)	वर्ष के अंत में लाख रुपये में राशि	
			पिछला मार्च	नवीनतम मार्च
1.0 इक्विटी जमा पूंजी (1.0=1.1-1.2)			0	0
1.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पे दावे	-Select-			
1.2 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम को देयताएँ/देनदारियाँ (रिवर्स निवेश)				
2.0 अन्य पूंजी (2.0=2.1-2.2) #			0	0
2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पे दावे	-Select-			
2.2 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम को देयताएँ/देनदारियाँ	-Select-			

ADD

नोट: (i) अगर जानकारी एक से अधिक प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के लिए प्रस्तुत की जा रही है, तो अतिरिक्त खंड-4(बी) डालने के लिए ADD बटन का उपयोग करें।

खंड-4(ए) के मद 2.1 और 2.2 अन्य पूंजी में इक्विटी शेयर को छोड़कर सभी अन्य देयताएँ और दावे नामिक मूल्य में शामिल हैं, (अर्थात व्यापार ऋण, ऋण, ऋणपत्र, गैर-सहभागी शेयर पूंजी, अन्य प्राप्य राशियाँ और देय खाता आदि) भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के प्रत्यक्ष निवेश उद्यम और संबंधित दलों के साथ भी जहां भारतीय कंपनी कि इक्विटी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम हैं।

खंड-5: विदेशी संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश

कृपया यहां अनिवासी उद्यम में बकाया निवेश का बाजार मूल्य , (खंड 4 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना तहत सूचित किये जाने अलावा) प्रस्तुत करें।

संविभाग निवेश	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम का देश	के अंत में लाख रुपये में राशि	
		पिछला मार्च	नवीनतम मार्च
1.0 इक्विटी प्रतिभूतियाँ (बाजार मूल्य पर)	-Select-		
2.0 ऋणप्रतिभूतियाँ (2.0=2.1+2.2)		0	0
2.1 मुद्रा बाजार लिखत (1 वर्ष तक मूल परिपक्वता अवधि)	-Select-		
2.2 बॉण्ड और अन्य लिखतें (1 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता)	-Select-		

ADD

टिप्पणी : (i) प्रत्येक प्रकार के निवेश से संबंधित देशानुसार समेकित जानकारी अलग से सूचित किया जाना चाहिए।

(ii) अगर जानकारी एक से अधिक देश के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, तो अतिरिक्त खंड डालने के लिये ADD बटन का इस्तेमाल करें।

<< पिछला अनुच्छेद

पुष्टि करें

अनुच्छेद IV-A में प्र वृष्टि >>

अनुच्छेद IV-ए

जावक विदेशी सहयोगी कंपनियों के व्यापार-आंकड़े

खंड-3(बी): विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (10% या उससे अधिक भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी द्वारा इक्विटी होल्डिंग) का आयात, निर्यात, कुल बिक्री और कुल खरीद

प्रत्यक्ष निवेश उद्यम का नाम	मद	मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि (साल के दौरान)	
			पिछला वर्ष (अप्रैल-मार्च)	नवीनतम वर्ष (अप्रैल-मार्च)
	3.8 कुल बिक्री			
	3.8.1 जिसमें से निर्यात			
	3.9 कुल खरीद			
	3.9.1 जिसमें से आयात			

(विदेशी असंबंधित दलों के साथ अन्य आस्तियां और देयताएं)

खंड 6: अन्य निवेश (अर्थात , विदेशी असंबंधित संस्थानों के साथ स्थिति)

यह एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें सभी वित्तीय बकाया देयताएं और दावे शामिल हैं जो प्रत्यक्ष निवेश या संविभाग निवेश नहीं माना जाता।

अन्य निवेश	विदेशी असंबंधित दलों के साथ बकाया देयताएं		विदेशी असंबंधित दलों के साथ बकाया आस्तियां	
	वर्ष के अंत में लाख रुपये में राशि			
	पिछला वर्ष	नवीनतम वर्ष	पिछला वर्ष	नवीनतम वर्ष
6.1 व्यापार ऋण				
6.2 ऋण				
6.3 मुद्रा और जमाराशियाँ				
6.4 अन्य आस्तियां और देयताएं खाता				

समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी देयताएँ और आस्तियाँ पर वार्षिक विवरण -अनुदेश:

निर्देश:

रिजर्व बैंक के 'समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण' (सीडीआईएस) और 'समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण' (सीपीआईएस) का संचालन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तत्वाधान में किया जाता है जिसमें भारतीय निवासी कंपनियों से पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च माह के अंत और चालू वित्त वर्ष के मार्च के अंत की उनकी विदेशी वित्तीय देयताओं और आस्ति की स्थिति से संबन्धित सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं। यह सूचना भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) सांख्यिकी, सीडीआईएस और सीपीआईएस का समेकन करते समय उपयोग में लाई जाती है।

एक्सेल फॉर्मेट में पूरी तरह से भरी गई रिटर्न प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक fla@rbi.org.in ई-मेल आईडी पर भेजी जाए यदि रिटर्न फ़ाइल करने से संबन्धित कोई भी जिज्ञासा हो तो उसे आप surveyfla@rbi.org.in आईडी पर भेजें।

गोपनीयता खंड: भेजी गई कंपनीवार जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और केवल समेकित आंकड़े ही रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।

अनुसूची /शेड्यूल भरे जाने के लिए सामान्य अनुदेश:

- 1) रिटर्न भरने से पूर्व रिटर्न के एक्सेल फॉर्मेट में दी गई परिभाषाओं को पढ़ें।
- 2) कंपनी की लेखाबन्दी की तारीख भले ही कोई भी हो, सूचना पिछले मार्च और चालू वर्ष के मार्च माह के लिए विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में दी जाएगी।
- 3) यदि संदर्भ की तारीख लेखाबन्दी अवधि से भिन्न है और/अथवा लेखों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है तो यह सूचना आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित करके अथवा अलेखापरीक्षित रूप में ही भेजी जानी चाहिए।
- 4) सभी राशियों की रिपोर्टिंग निम्नानुसार करें:
 - (क) ब्लॉक 1, 2, 4 और 5 की रिपोर्टिंग लाख रुपए में करें।
 - (ख) ब्लॉक 3A की रिपोर्टिंग वास्तविक विदेशी करेंसी में करें।
- 5) यदि कोई ब्लॉक सूचना की रिपोर्टिंग करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो ब्लॉक जोड़ने के लिए **ADD** बटन का उपयोग करें। विधिवत भरे गए रिटर्न(एक्सेल फॉर्मेट में) को छोड़कर कोई अन्य जानकारी अलग से दिए गए अनुबंध में स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 6) विदेशी देयताएँ और आस्ति के मूल्यांकन के लिए कार्यविधि:

लिस्टेड कंपनी के मामले में इक्विटी का मूल्यांकन शेयर मूल्य, जो संदर्भ बंद होनेवाली तारीख को था, का उपयोग करके किया जा सकता है जबकि अनलिस्टेड कंपनी के मामले में बुक वैल्यू की स्वाधिकृत निधि विधि (ओएफबीवी) उपयोग में लाई जा सकती है।

उदाहरण: अनलिस्टेड कंपनी के मामले में ओएफबीवी विधि से इक्विटी निवेश का मूल्यांकन

		पिछले मार्च में	चालू वर्ष के मार्च में
क	इक्विटी शेयर पूंजी		
ख	सहभागी अधिमान शेयर पूंजी		
ग	इक्विटी और सहभागी अधिमान शेयर पूंजी	क+ख	क+ख
घ	रिजर्व्स और आधिशेष		
ङ	कंपनी की निवल मालियत (नेट वर्थ)	ग+घ	ग+घ
च	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी		
छ	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा धारित सहभागी अधिमान पूंजी		
ज	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा धारित इक्विटी और सहभागी अधिमान पूंजी	च+छ	च+छ
झ	इक्विटी और सहभागी अधिमान पूंजी धरण प्रतिशत	ज/ग	ज/ग
ञ	एफडीआई बाजार मूल्य पर	ङ * झ	ङ * झ

टिप्पणी:

- क) अनिवासी भारतीय को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर जारी शेयरों की रिपोर्टिंग वार्षिक रिटर्न में करें।
 ख) ट्रेड की जा चुकी दिनांकित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर करें जबकि अन्य प्रकार के ऋण जैसे- ऋण, ट्रेड क्रेडिट, जमा राशियाँ, और अन्य देय/प्राप्य लेखों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य पर करें।
 ग) विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में रिपोर्टिंग करते समय पिछले वित्त वर्ष की अथवा चालू वित्त वर्ष की विनिमय दरों (जो भी लागू हो) का उपयोग करें।

रिजर्व बैंक में रिटर्न दाखिल करने से पूर्व यह जांच करें कि:

- आपने रिटर्न की उन सभी मदों का जिक्र किया है जो आपसे संबन्धित हैं और आपके अभिलेखानुसार हैं।
- अपने अपने अभिलेख में विधिवत भरे गए शेड्यूल की एक प्रति रखी है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया आप नीचे दिए पते पर संपर्क करें:

<p>सहायता केंद्र: दूरभाष संख्या : (022) 2657 8662/ 2657 8217/ 2657 8348/ 2657 8214/2657 8340/2657 8241 फ़ैक्स संख्या : (022) 26571265 /26570848 ई-मेल : surveyfla@rbi.org.in</p>

----- अनुबंध - I समाप्त -----

अनुबंध - II

ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 145 का अनुबंध
 दिनांक जून 18, 2014

विदेशी देयताएँ और आस्तियों के लिए वार्षिक रिटर्न भरने संबंधी संकल्पनाएं और परिभाषाएँ

उद्यमियों का निवास -

किसी उद्यम को आर्थिक हित का केंद्र और किसी देश (आर्थिक क्षेत्र) की निवासी यूनिट तब कहा जाता है जब उद्यम उस देश में माल और/अथवा सेवाओं का भरपूर उत्पादन करने में संलग्न हो अथवा उसके द्वारा उस देश में भूमि और भवन क्रय किए गए हों। उद्यम का उस देश में कम से कम एक उत्पादन प्रतिष्ठान होना चाहिये जिसका संचालन वह अनिश्चित काल तक अथवा दीर्घावधि के लिए करे।

रखा गया लाभ (ब्लॉक-1बी, मद 3.5, अनुभाग -II)

रखा गया लाभ (हानि) = करोत्तर लाभ (हानि) - घोषित लाभांश - लाभांश पर कर अर्थात् ब्लाक 1B में, (i.e. मद 3.5 = मद 3.2 में से मद 3.3 और मद 3.4 घटाये)

आरक्षित निधि (ब्लॉक 1सी, मद 4.1, अनुभाग-II)

कंपनी के तुलन पत्र में प्रदर्शित सभी आरक्षित निधियाँ इसमें सम्मिलित हैं। इसमें लाभ/हानि लेखे में से अग्रेणित शेष को सम्मिलित नहीं करें।

लाभ और हानि लेखा शेष (ब्लॉक 1सी, मद 4.2, अनुभाग-II) : तुलन पत्र में अग्रेणित लाभ-हानि लेखा शेष को ब्लॉक 1 सी की मद 4.2 में रिपोर्ट करना चाहिए। यह सूचना तुलन पत्र से प्राप्त की जानी चाहिए न कि लाभ-हानि लेखा से।

ए. प्रत्यक्ष निवेश :

प्रत्यक्ष निवेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश का एक वर्ग है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में निवासी इकाई (प्रत्यक्ष निवेशक/डीआई) को दूसरी आर्थव्यवस्था में दीर्घावधिक हित प्राप्त हो जाता है। इसमें दो घटक अर्थात् इक्विटी पूंजी और अन्य पूंजी सम्मिलित हैं ।

(i) प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत इक्विटी पूंजी

इसके अंतर्गत निम्नलिखित मद आते हैं: (1) शाखाओं की इक्विटी और सभी शेयर (गैर-भागीदारी अधिमान शेयरों को छोड़कर); (2) किसी प्रत्यक्ष निवेशक (डीआई) द्वारा इक्विटी भागीदारी से प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई) को अंशदान यथा-मशीन, भूमि और भवन का प्रावधान करने के लिए; (3) डीआईई द्वारा उसके अपने प्रत्यक्ष निवेशकों के शेयरों का अभिग्रहण जिसे रिजर्व निवेश भी कहा जाता है (अर्थात् -डीआई पर दावे)।

क. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ब्लॉक 2ए, 2बी, अनुभाग- III)

यदि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) योजना के तहत अनिवासी इकाई को किसी भारतीय कंपनी द्वारा शेयर जारी किया जाता है, तो इसकी रिपोर्टिंग रिटर्न के अनुभाग III [भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देयताएँ)]के अंतर्गत की जानी चाहिए। यदि अनिवासी इकाई एक साथ 10 प्रतिशत अथवा अधिक इक्विटी और अधिमान शेयर रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी में धारण करती है तो इसकी जानकारी ब्लॉक-2ए (मद 1.1, प्रत्यक्ष निवेशक की देयताएँ) में दी जानी चाहिए। लेकिन यदि अनिवासी इकाई एक साथ 10 प्रतिशत से कम इक्विटी और अधिमान शेयर रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी में धारण करती है तो इसकी जानकारी ब्लॉक-2बी (मद 1.1, प्रत्यक्ष निवेशक की देयताएँ) में दी जानी चाहिए। दोनों ही मामलों में अनिवासी इकाई

को प्रत्यक्ष निवेशक (डीआई) कहा जाता है जबकि रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई) कहा जाता है। यदि रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी विदेश स्थित अपनी डीआई कंपनी में इक्विटी शेयरों को धारण करती है तथा डीआई कंपनी की इक्विटी पूंजी से उसकी शेयरधारिता 10 प्रतिशत से कम है तो इसे विपर्य निवेश कहा जाता है और इसकी रिपोर्टिंग संबन्धित ब्लॉक यथा-2ए अथवा 2बी की मद 1.2 (प्रत्यक्ष निवेशक के संबंध में दावे) में की जानी चाहिए।

ख. भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (ब्लॉक 4ए और बी, अनुभाग- IV)

यदि रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश (ODI) योजना के अंतर्गत ओवरसीज कंपनी के इक्विटी में निवेश करती है और/अथवा अधिमान शेयरों में भागीदारी करती है (अर्थात् संयुक्त उद्यम अथवा विदेश में पूर्ण स्वामित्ववाली सब्सिडियरी) तो इसकी रिपोर्टिंग रिटर्न के अनुभाग IV में की जानी चाहिए। यदि भारतीय कंपनी ओवरसीज कंपनी में 10 प्रतिशत अथवा अधिक इक्विटी तथा भागीदारी अधिमान शेयर एक साथ धारण करती है तो इसकी रिपोर्टिंग ब्लॉक-4ए (मद 1.1, प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के संबंध में दावा) में की जाएगी। तथापि भारतीय कंपनी ओवरसीज कंपनी में 10 प्रतिशत से कम इक्विटी तथा भागीदारी अधिमान शेयर धारण करती है तो इसकी रिपोर्टिंग ब्लॉक-4बी (मद 1.1, प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के संबंध में दावा) में की जाएगी। दोनों ही मामलों में भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष निवेशक (डीआई) कहा जाता है जबकि ओवरसीज कंपनी को प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई) कहा जाता है।

यदि ओवरसीज डीआईई भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी (डीआई) में भी इक्विटी शेयर धारित करती है और भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की इक्विटी पूंजी में इसकी शेयरधारिता 10 प्रतिशत से कम है तो इसे विपर्य निवेश कहा जाता है और तब इसकी रिपोर्टिंग संबन्धित ब्लॉक 4ए अथवा 4बी की मद 1.2 में की जाएगी।

(ii) प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत अन्य पूंजी (ब्लॉक 2ए, 2बी, 4ए और 4बी)

प्रत्यक्ष निवेश के अन्य पूंजी घटकों (अन्य प्राप्य और देय राशियाँ, केवल इक्विटी और भागीदारी अधिमान शेयर निवेश को छोड़कर) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: बकाया देयताएँ अथवा ऐसे दावे जो निधियाँ उधार लेने और उधार देने, ऋण प्रतिभूतियों जिसमें प्रत्यक्ष निवेशकों और डीआईई के बीच तथा दो डीआईई, जो एक ही प्रत्यक्ष निवेशक से व्यवहार करते हैं, के बीच गैर-भागीदारीवाले अधिमान शेयर, ट्रेड क्रेडिट, वित्तीय लीजिंग, शेयर अप्लीकेशन धनराशि इत्यादि के कारण उत्पन्न हुए हैं। गैर-भागीदारीवाले अधिमान शेयरों, जो प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा धारित हैं, को ऋण प्रतिभूति माना जाता है और इन्हें अन्य पूंजी में सम्मिलित करना चाहिए।

भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी और इसके 10 प्रतिशत या इससे अधिक इक्विटी तथा/अथवा अधिमान शेयर पूंजी धारक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों के बीच अन्य देयताएँ और प्राप्य राशियों की रिपोर्टिंग ब्लॉक 2ए की मद क्रमशः 2.1 तथा 2.2 में करनी चाहिए। लेकिन भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी और इसके 10 प्रतिशत से कम इक्विटी तथा/अथवा अधिमान शेयर पूंजी धारक प्रत्यक्ष अनिवासी निवेशकों और साथ ही अनिवासी फ़ेलो उद्यमों (संबन्धित पक्षों) के बीच अन्य देयताएँ और प्राप्य राशियों की रिपोर्टिंग ब्लॉक 2बी की मद क्रमशः 2.1 तथा 2.2 में करनी चाहिए।

इसी प्रकार भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी और इसके ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश उद्यम, जिसमें भारतीय कंपनी की इक्विटी और अधिमान पूंजी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत या इससे अधिक है, के बीच अन्य देयताएँ और प्राप्य राशियों की रिपोर्टिंग ब्लॉक 4ए की मद क्रमशः 2.1 तथा 2.2 में करनी चाहिए। लेकिन भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी और इसके ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश उद्यम, जिसमें भारतीय कंपनी की इक्विटी और अधिमान पूंजी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम है, और साथ ही अनिवासी फ़ेलो उद्यमों(संबन्धित पक्षों) के बीच अन्य देयताएँ और प्राप्य राशियों की रिपोर्टिंग ब्लॉक 4बी की मद 2.1 तथा 2.2 में क्रमशः करनी चाहिए।

बी. पोर्टफोलियो निवेश:

(i) पोर्टफोलियो निवेश (ब्लॉक 2सी और 5)

इसमें प्रत्यक्ष निवेश से इतर (देयता पक्ष में ब्लॉक 2ए, 2बी तथा आस्ति पक्ष में ब्लॉक 4ए, 4बी), इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी द्वारा किए गए बाह्य दावे अथवा के प्रति देयताएँ शामिल हैं। ऋण प्रतिभूतियों में दीर्घकालिक बॉन्ड और नोट तथा अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखत सम्मिलित हैं।

भारत में पोर्टफोलियो योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में अनिवासी इकाई द्वारा किया गया किसी भी निवेश की रिपोर्टिंग ब्लॉक 2सी (पोर्टफोलियो देयताएँ) में करनी चाहिए। इसके अलावे सेकंडरी मार्केट से भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के अनिवासी द्वारा खरीदे गए शेयरों की रिपोर्टिंग ब्लॉक 2सी में पोर्टफोलियो देयता के रूप में की जानी चाहिए।

भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी शेयरों और/अथवा ऋण प्रतिभूतियों में, ओवरसीज प्रत्यक्ष योजना में किए गए निवेश से इतर, किए गए निवेश की रिपोर्टिंग ब्लॉक-5 (पोर्टफोलियो आस्ति) में की जानी चाहिए।

(ii) इक्विटी प्रतिभूतियां (ब्लॉक 2सी और 5, मद 1.0)

इक्विटी प्रतिभूतियाँ ऐसी लिखतें हैं जो सभी लेनदारों के दावे को निपटने के बाद जारीकर्ता उद्यम की अवशिष्ट आय पर धारकों के दावे की पुष्टिस्वरूप हैं। इनमें साधारण शेयर, स्टॉक्स, भागीदारी अधिमान शेयर्स, अनिवासियों को जारी इक्विटी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को दर्शाती डिपोजिटरी रसीदें (एडीआर/ जीडीआर), म्यूचुअल फंड और निवेश न्यास में शेयर्स/ यूनिटें, पुनर्क्रय व्यवस्था के अंतर्गत बेची गई इक्विटी प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति लेंडिंग व्यवस्था के अंतर्गत बेची गई इक्विटी प्रतिभूतियाँ सम्मिलित होती हैं।

(iii) ऋण प्रतिभूतियाँ (ब्लॉक 2सी और 5, मद 2.0): इसमें बॉन्ड और नोट और मुद्रा बाजार की लिखतें सम्मिलित हैं।

(iii.क) बॉन्ड और नोट (ब्लॉक 2सी और 5, मद 2.1)

इसमें ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं जिनकी मूल संविदात्मक परिपक्वता एक वर्ष से अधिक (दीर्घकालिक) है। दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित में सम्मिलित हैं: डिबेंचर, गैर-भागीदारी अधिमान शेयर, परिवर्तनीय बॉन्ड, परक्राम्य जमा प्रमाणपत्र, पर्पेचुअल बॉन्ड, संपार्श्विक मोर्टगेज दायित्व, दुहरी मुद्रा, जीरो कूपन और अन्य Deep-discount बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड तथा इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड इत्यादि।

(iv) मुद्रा बाजार लिखतें (ब्लॉक 2सी और 5, मद 2.2): ये अल्पकालिक लिखतें हैं जिनकी मूल संविदात्मक परिपक्वता एक वर्ष तक होती है। इनमें सम्मिलित हैं- राजकोषीय बिल, वाणिज्य पेपर, बैंकर्स एक्सेप्टेंसज, इशूएंस सुविधा के अंतर्गत जारी अल्पकालिक परक्राम्य जमा प्रमाणपत्र और अल्पकालिक नोट। मुद्रा बाजार लिखतों वाली विशेषताएँ युक्त लिखतें जो एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली हैं, को बॉन्ड और नोट में वर्गीकृत किया जाएगा।

सी. अन्य निवेश (ब्लॉक 6, अनुभाग -V):

यह अवशिष्ट वर्ग है जिसमें सभी बकाया वित्तीय देयताएँ और आस्तियाँ, जिन्हें प्रत्यक्ष निवेश अथवा पोर्टफोलियो निवेश नहीं माना जाता, सम्मिलित हैं यथा:

(सी.i) ट्रेड क्रेडिट्स:

ट्रेड क्रेडिट्स वे आस्ति और देयताएँ हैं जो क्रेता को माल और सेवाओं के लेन-देन के लिए सप्लायर द्वारा सीधे क्रेडिट का विस्तार करने तथा क्रेता द्वारा माल और सेवाओं के लेन-देन और चल रहे कार्य के लिए अग्रिम भुगतान करने के कारण उत्पन्न हुई हैं। ट्रेड क्रेडिट्स आस्ति आयातक (आप) द्वारा आपके आयात के लिए किया गया अग्रिम भुगतान अथवा निर्यातक (आप) द्वारा सीधे आपके आयातक को किया गया क्रेडिट विस्तार है। ये ट्रेड क्रेडिट आस्तियाँ आपके आयातों के लिए किए गए अग्रिम भुगतान हैं अथवा निर्यातक (आप) द्वारा आपके आयातक को किया गया क्रेडिट विस्तार है। ट्रेड क्रेडिट देयताएँ आपके निर्यातों के लिए निर्यातक द्वारा प्राप्त किया गया अग्रिम भुगतान अथवा आयातक (आप) द्वारा सीधे आपके निर्यातक से प्राप्त किया गया क्रेडिट है। यह उल्लेखनीय है कि माल और सेवाओं के क्रय के प्रयोजनार्थ सप्लायर से इतर किसी उद्यमी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को ऋण माना जाता है, ट्रेड क्रेडिट नहीं।

(सी.ii) ऋण:

ऋण देना, लेनदार द्वारा देनदार को किसी व्यवस्था के तहत सीधे निधियाँ उधार देना है। इसके अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ, व्यापार को वित्तीय ऋण (अर्थात् क्रेता का क्रेडिट, जिसमें माल और सेवाओं की खरीददारी करने के लिए किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा निर्यातकर्ता देश की कोई निर्यात क्रेडिट एजेंसी सीधे किसी विदेशी क्रेता को अथवा आयातक देश के किसी बैंक को ऋण उपलब्ध करती है), मोर्टगेजेस और अन्य ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित हैं। वित्तीय लीज और पुनर्क्रय को भी ऋण माना जाता है। बकाया ऋण (दायित्व/दावे) की रिपोर्टिंग ब्लॉक 6 में ऋण मद के अंतर्गत की जाएगी।

यह ध्यान रहे कि अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक से प्राप्त अथवा उनको देय ऋण को ब्लॉक 2ए में अथवा 2बी में अन्य पूंजी के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा जबकि विदेश में आपकी सब्सिडीयरीज/एसोसिएट्स को दिए गए अथवा से प्राप्त ऋण कि रिपोर्टिंग ब्लॉक 4ए अथवा 4बी के अन्य पूंजी के तहत कि जानी चाहिए।

(सी.iii) मुद्रा और जमा:

यदि रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी कोई बैंक है तो एनआरई, एनआरओ(चालू/बचत/सावधि जमा) और एफसीएनआर लेखे और वोस्त्रो लेखे का कोई जमा शेष और नोस्त्रो लेखे का अतिदेय 'बकाया देयता' के अंतर्गत करेंसी तथा जमाराशियों में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि पोर्टिंग इकाई कोई अन्य बैंक है तो विदेश स्थित करेंसी और जमाराशियाँ, विदेश में पार्क की हुई ईसीबी को भी सम्मिलित करते हुए, की रिपोर्टिंग 'बकाया दावे' के अंतर्गत करेंसी और जमाराशियों के सामने रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(सी.iv) अन्य प्राप्य और देय लेखे:

ये अवशिष्ट मदें हैं जिनमें वे सभी बाह्य वित्तीय देयताएँ तथा आस्तियाँ शामिल हैं जिन्हें अन्य कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। ये विविध प्राप्य या देय राशियाँ होती हैं यथा-बकाया राशि का ब्याज भुगतान करने से संबन्धित लेखे, बकाया ऋण भुगतान लेखे, बकाया मजदूरी और वेतन लेखे, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, बकाया कर इत्यादि।

भारतीय कंपनी की पहचान (मद 9, अनुभाग -I):

क) विदेशी सब्सिडियरी :

किसी भारतीय कंपनी को तब विदेशी सब्सिडियरी कहा जाता है जब एक अनिवासी निवेशक भारतीय कंपनी के वोटिंग पावर/ इक्विटी पूंजी का 50% से अधिक का स्वामी हो जाता है अथवा जब एक गैर अनिवासी निवेशक और उसकी सब्सिडियरीज मिलकर एकसाथ भारतीय कंपनी में वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का 50% से अधिक का स्वामी हो जाते हैं।

ख)विदेशी एसोसिएट :

किसी भारतीय कंपनी को विदेशी एसोसिएट तब कहा जाता है जब अनिवासी निवेशक भारतीय उद्यम में वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का 10% से अधिक तथा 50% से कम का स्वामी हो अथवा जब अनिवासी निवेशक और इसकी सब्सिडियरी सम्मिलित रूप से भारतीय उद्यम में वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का न्यूनतम 10% से अधिक तथा 50% से कम का स्वामी हो।

ग) विशेष प्रयोजनार्थ वाहन (एसपीवी):

विशेष प्रयोजनार्थ वाहन (एसपीवी) एक प्रकार की विधि सम्मत कंपनी है (आमतौर पर किसी प्रकार की लिमिटेड कंपनी अथवा कभी-कभी यह लिमिटेड साझेदारी कंपनी) जिसे छोटे, महत्वपूर्ण और अस्थायी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। पैरेंट उद्यमों द्वारा जिस स्थान पर एसपीवी बनाया जाता है, वे आमतौर पर किसी दूसरे देश (अर्थव्यवस्था) में अवस्थित होते हैं, और उनमें नगण्य रोजगार पैदा होता है। इनका उपयोग अधिकतर पूंजी जुटाने या आस्ति और देयताएँ धारित करने में किया जाता है तथा साधारणतया ये कोई महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं करते।

घ) पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी):

पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का अर्थ है किसी सरकारी सेवा अथवा प्रायवेट बिजनेस वेंचर, जिसका निधीयन और परिचालन सरकार तथा निजी क्षेत्र की एक या एक से अधिक कंपनियों की पार्टनरशिप के माध्यम से किया जाता है। पीपीपी में सरकारी क्षेत्र की अथॉरिटी और निजी पार्टी के बीच संविदा की जाती है, जिसमें निजी पार्टी की ओर से जन सेवा या परियोजना उपलब्ध कराई जाती है तथा परियोजना के वित्तीय, तकनीकी और परिचालनात्मक जोखिमों में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है।

----- अनुबंध ॥ समाप्त हुआ-----